महत्वपूर्ण एवं खास

सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत

कोरबा (आरएनएस)। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में पिछली रात हुए हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसे कार ने चपेट में लिया था। पुलिस ने दुर्घटनाकारित कार को जप्त किया है। इस मामले में अगली कार्रवाई की जा रही है। सीएसईबी पुलिस चौकी अंतर्गत रात्रि 10 बजे के आसपास यह घटना हुई। चौकी प्रभारी एस के धारी ने बताया कि 20 वर्षीय अरशद सलमानी पिता शाहीद सलमानी ट्रांसपोर्ट नगर की एक सैलुन दुकान में काम करता था। रात्रि 9 बजे काम समाप्त होने के बाद वह पंप हाउस स्थित अपने घर पैदल जा रहा था। स्टेट बैंक के नजदीक तेज सिंह मोटर ड्रायड्क्षवंग स्कूल के पास कार संख्या सीजी 12 ए 2732 ने उसे चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में 304 , के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कार जप्त की गई है। इसके मालिक के बारे में जिला परिवहन कार्यालय से जानकारी जुटायी जा रही है। उक्तानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

छात्रा की अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने वाला गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। जिले के चारामा थाना क्षेत्र की एक छात्रा की फोटो को एडिट कर अश्लील फोटो बनाकर बदनाम करने के नियत से सोशल मीडिया में वायरल करने वाले आरोपी प्रेम साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। पुलिस मिली जानकारी के अनुसार युवती ने 25 मार्च को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताई कि ग्राम रूहा जिला दुर्ग निवासी प्रेम साहू से उसकी जान पहचान थी। इस कारण वे दोनों अक्सर मोबाइल पर बातचीत किया करते थे। युवक उसे शादी का झांसा दिया करता था, कुछ दिन पहले ही पता चला कि वह शादीशुदा है, दो बच्चों का पिता है तो उसके बाद उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया। इससे नाराज प्रेम साहू नछात्रा की फोटो को एडिट कर अश्लील फोटो बनाकर बदनाम करने के नियत से सोशल मीडिया में वायरल कर दिया।

संदिग्ध हाईवा जप्त

कोरबा (आरएनएस)। रिस्दी मुख्यमार्ग पर बुधवार को हुए हादसे में पूर्व एसईसीएल कर्मी एस लकरा की पत्नी की मौत हो गई। कार को ओव्हरटेक करने के चक्कर में हाईवा चालक ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर एक हाईवा को जप्त किया है। रामपुर सिविल लाईन थाना प्रभारी नितिन उपाध्याय ने बताया कि अंतिम रूप से संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी है और इस बारे में तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। इसके लिए कई सूत्र भिड़ाए गए हैं। घटना पर मर्ग और अपराध कायम किया गया है। याद रहे किसी काम से लकरा दंपत्ति पास के गांव नकटीखार गई हुई थी। वहां लौटने के दौरान व्यस्त क्षेत्र में हादसा हुआ जिसमें श्रीमती लकरा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लोगों की मांग पर इस क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए लोकनिर्माण विभाग से बात की गई है।

नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगी मशीनों को आग के हवाले किया

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले के कुरुसनार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुमियाबेड़ा पुल निर्माण में लगी मिक्सर मशीन और पानी पंप को नक्सलियों द्वारा आग के हवाले कर दिया है। इन दिनों जिले के कोडोली से झारावाही, आंकाबेड़ा मार्ग में कई पुलपुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। जहां दिन में सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के जवान तैनात होते हैं। लेकिन रात के समय जब कोई सुरक्षा व्यवस्था नही होती, जिसका फायदा उठा कर नक्सली निर्माण कार्य में लगे भारी मशीनों को अपना निशाना बना रहे हैं। बीते कुछ दिनों में नक्सली जिले में आगजनी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

दा वर्ष पुराने पंजीयन वाले ही बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र

- पंजीयन का नवीनीकरण कराने या नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नही
- एक अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन भर सकते हैं आवेदन, रोजगार कार्यालय आने की जरूरत नहीं
- आवेदकों के लिए दिशा निर्देश जारी, सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने व भीड़ से बचने ऑनलाइन आवेदन की सलाह
- च्वाइस सेंटर्स से भी भर सकते हैं आवेदन
- आवेदन भरने की नही है कोई अंतिम तिथि, लगातार लिए जायेंगे आवेदन
- आवेदकों की सुविधा के लिए क्लस्टर बनाकर किया जाएगा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन

रायगढ़। सूचना मिल रही है कि बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने के लिये बहुत सारे लोगों की भीड़ लग रही है। जिसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पंजीयन के नवीनीकरण के लिए पहुंच रहे हैं या नया पंजीयन करवाने के आ रहे हैं। इस संबंध में रोजगार विभाग ने स्पष्ट किया है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नही है। क्योंकि बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नही है। पंजीयन के लिये रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नही है। ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे किया जा सकता है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है, इसलिये नवीनीकरण के लिये भी किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नही है। बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल 1 अप्रेल से खुलेगा। आवेदन किसी भी स्थान से ऑन लाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल का यू.आर.एल. http://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspx.है।

सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन का फार्म भरने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, कक्षा दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12 वीं की मार्क शीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें, क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भैतिक सत्यापन के लिये पहले से समय देकर बुलाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डो के समूह के क्लस्टर बनाये जायेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में किया जायेगा, जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिये अपने घर से दूर न जाना पड़े। सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने, आदि की अच्छी व्यवस्था होगी। सत्यापन के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीमें भी उपलब्ध रहेगी।

आवेदक अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें- आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मेनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक कृपया ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं, अन्यथा बैंक मैनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नही होगी।

आवेदन की नही है अंतिम तिथि, लगातार लिए जायेंगे आवेदन- बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिये कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिये किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ी करने की आवश्यकता नही है। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा और आवेदक किसी भी दिन किसी भी समय ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये कृत संकल्पित है।

रामनवमी शोभायात्रा यात्रा में शामिल भक्तजनों को वितरित किया शीतलपेय

रायगढ़ (आरएनएस)। जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ द्वारा राम नवमी के अवसर पर प्रभु रामचंद्र जी की शोभायात्रा का स्वागत करने जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य कांग्रेस भवन रायगढ़ में एकत्रित हुए जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में एवम माननीया महापौर जानकी अमृत काटजू की गरिमामय उपस्थिति में शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों का स्वागत किया गया इस अवसर पर सभी कांग्रेस जनों ने शोभायात्रा में शामिल राम भक्तों को गले लगाया व हजारों की संख्या में उत्साह पूर्ण माहौल में भगवे पीले रंग से सजे राम भक्तजनों के काफिले को कांग्रेसजनों द्वारा शीतल पेय पिलाया गया विदित हो कि प्रतिवर्ष निकलने वाली राम जी की शोभा यात्रा का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री शाखा यादव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष द्वय विकास ठेठवार एवं मदन महंत के साथ सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन एवम समस्त कांग्रेस प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों महिला कांग्रेस युवक कांग्रेस एनएसयूआई शहर सरकार के प्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित रहे।

तरूण ने श्रवण यंत्र से सबसे पहली सुनी कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी की आवाज : 5 बच्चों को मिला श्रवण यंत्र रूपी वरदान

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट में 5 दिव्यांग बच्चों को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। ये बच्चे पहले सुनने में असमर्थ थे, जिस कारण से इन्हें अपने दैनिक जीवन में बहुत सी व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। श्रवण यंत्र के होने से अब इनके जीवन में सुनने की समस्या से राहत मिला है। अब यह दूसरे लोगों की बात सुन पाएंगे और उनसे बातचीत कर अपनी बात रख पाएंगे, जो कि इनके जीवन के लिए एक वरदान स्वरूप बदलाव है। बरमकेला निवासी 13 वर्षीय छात्र तरूण को कलेक्टर डॉ सिद्दीकी के समक्ष श्रवण यंत्र लगाकर यंत्र की जाँच की गई। तरूण न सुन पाते हैं न ही बोल पाते हैं, जब उनके कानों में श्रवण यंत्र लगाया गया, उसके पश्चात् कलेक्टर ने उनसे चर्चा की और पूछा कि क्या तरूण सुन पा रहा है, तरूण ने प्रतिउत्तर में मुंह खोलते हुए मुस्कान बिखेरते हां में जवाब दिया। तरूण की मुस्कुराहट ही उसके मन की खुशी का इजहार कर रहा था, वह पहली बार सुनने की शक्ति का आनंद लिया। इसी क्रम में ग्राम टिमरलगा सारंगढ़ निवासी रोहन मौर्या (उम्र 9 वर्ष) , पिंडरी 'डी' सारंगढ़ निवासी राजवीर बंजारे (उम्र 9 वर्ष), गोबरसिंघा बरमकेला निवासी कबीर सिदार (उम्र 4 वर्ष) एवं प्राथमिक स्कूल बरमकेला के छात्रा सोनिया सिदार (उम्र 9 वर्ष) को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा श्रवण यंत्र के साथ कुल 36 बैटरियाँ भी दी गई। विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसमें से प्रत्येक बैटरी कुल दो महीने तक चलेगी। इस यंत्र को पानी से भीगने से बचाना है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एफ आर निराला, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन एल इजारदार एवं समाज कल्याण विभाग के उप संचालक विनय कुमार तिवारी उपस्थित थे।

मुख्यालय में रहें आरआई और पटवारी, अन्यथा होगी कार्यवाही -कलेक्टर

- तहसील भवन छाल का काम जल्द शुरू करने के निर्देश
- कलेक्टर सिन्हा ने कहा गांवों में वनोपज संग्रहण की करवाएं व्यवस्था
- कलेक्टर सिन्हा ने उप स्वास्थ्य केंद्र हाटी का किया निरीक्षण
- नरवा संवर्धन, अमृत सरोवर और आवर्ती चराई का भी देखा काम

रायगढ़। आरआई और पटवारियों को बार-बार अपने मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी कई जगहों से शिकायतें मिल रही हैं कि वे मुख्यालय में नही रह रहे हैं। यह गंभीर लापरवाही है, ऐसी शिकायतें मिलने पर अब कार्यवाही होगी। उक्त बातें कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने छाल तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कही। दरअसल निरीक्षण के दौरान यह बातें सामने आयी कि यहां आरआई और पटवारी मुख्यालय में नही मिल रहे हैं। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी का मुख्यालय में रहना सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर सिन्हा ने तहसील कार्यालय के सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह नया कार्यालय है अत: काम को शुरुआत से व्यवस्थित करते चलें, जिससे पक्षकारों को सुविधा हो। इस दौरान उन्होंने तहसील भवन निर्माण के लिए चयनित स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के लिए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन का अवलोकन करते हुए कहा कि इसमें कार्यालय के सभी शाखाओं के लिए व्यवस्था हो। उन्होंने काम जल्द शुरु कराने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर सिन्हा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाटी के निरीक्षण में भी पहुंचे। यहां उन्होंने पेशेंट वार्ड और लेबर रूम का निरीक्षण किया और अस्पताल में प्रतिमाह होने वाली डिलीवरी की जानकारी ली। यहां अतिरिक्त भवन की मांग रखी गई। इसके साथ अस्पताल में महतारी एक्सप्रेस और शव वाहन की मांग भी स्थानीय लोगों ने रखी। कलेक्टर सिन्हा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसका प्रस्ताव बना कर देने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने ग्राम पोड़ी छाल में जनपद पंचायत धरमजयगढ़ द्वारा बनवाए जा रहे अमृत सरोवर का काम भी देखा। यहां अब तक हुए कार्य के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि यहां मनरेगा से काम करवाया जा रहा है। कलेक्टर सिन्हा ने यहां सरोवर के चारों ओर पिचिंग व प्लांटेशन करवाने के निर्देश दिए।

गांवों में वनोपज संग्रहण की हो व्यवस्था- कलेक्टर सिन्हा अपने प्रवास के दौरान ग्राम तरेकेला में ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे। इसी बीच वहां से जंगल से महुआ का संग्रहण कर लौट रही महिला भी पहुंची। कलेक्टर सिन्हा ने महिला से महुआ संग्रहण और उसकी बिक्री के संबंध में बात की। महिला ने बताया कि वे इक_ा किए हुए महुआ को स्थानीय स्तर पर बेच देती है। कलेक्टर सिन्हा इस पर वन विभाग के अधिकारियों को गांवों में वनोपज संग्रहण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

गौठान में शुरू कराएं मछली पालन- कलेक्टर सिन्हा ने छाल में आवर्ती चराई के लिए बने वन विभाग के गौठान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां करवाए जा रहे अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। यहां महिला समूह द्वारा कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। कलेक्टर सिन्हा ने समूह से चर्चा कर उनके कामकाज की जानकारी ली। गौठान के समीप मछली पालन की संभावना को देखते हुए उन्होंने समितियों के माध्यम से कार्य शुरू करवाने को बात कही। कलेक्टर सिन्हा ने इसके साथ ही वन विभाग द्वारा करवाए गए नरवा संवर्धन के कार्य का भी निरीक्षण किया।

पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू

रायगढ़। पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) द्वारा कालातील ऋणों (एनपीए खातों)के लिए एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस)लागू की गई है। अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी सुनील सोढ़ी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए हितग्राही को समझौता राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा कर शेष राशि 10 समान किस्तों में 10 माह के भीतर जमा करना होगा। इस योजना का उद्देश्य ऐसी ऋणी जिनकी अचल संपत्ति ऋण जमानत स्वरूप रखी हुई है या अचल संपत्ति पर बिक्री जारी हो चुकी है उन्हें पुन: अपनी संपत्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने तथा वसूली से संबंधित कानूनी मामलों में कमी लाना है साथ ही ऐसी ऋणी जिनकी मृत्यु हो चुकी है यह ऋणी का कोई अता-पता नहीं है प्रकरण में उत्तराधिकारी/गारण्टर को बैंक ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करना है योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक)शाखा में संपर्क कर सकते है।

पंचायत विभाग ने जारी की छ.ग. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु मार्गदर्शी निर्देश

सारंगढ़ बिलाईगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार प्रदेश में 01 अप्रैल, 2023 से छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुसार सभी जिले में निवासरत ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण किया जाना है। अतः इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु 01 प्रगणक दल का गठन, जिसमें 01 महिला सदस्य एवं 01 पुरूष सदस्य शामिल हो। ऐसे ग्राम पंचायत जहां परिवारों की संख्या अधिक हो वहां आवश्यकतानुसार एक से अधिक प्रगणक दलों का गठन भी किया जा सकता है। प्रगणकों को प्रशिक्षण के दौरान एस.ई.सी.सी. 2011 की सूची, प्रधानमंत्री आवास स्थाई प्रतीक्षा सूची, आवास प्लस सूची, राशनकार्डधारी परिवारों की सूची, धान विक्रय का किसान पंजीयन सूची एवं मनरेगा जॉबकार्ड सूची प्रदाय की जाए। ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रगणकों की संख्या के आधार पर आवश्यक संख्या में सूचियां पहले से ही तैयार कर ली जाए। राज्य स्तर से जिला नोडल अधिकारी / सहायक जिला नोडल अधिकारी का लॉगिन तैयार कर प्रदाय किया जाएगा तत्पश्चात जिला स्तर से जनपद स्तर के नोडल अधिकारी का तथा जनपद स्तर से सुपरवाईजरों का सर्किल आधार पर लॉगिन बना कर उपलब्ध कराया जाना है। जनपद स्तर से रिजर्व सुपरवाईजर का तथा सुपरवाईजर द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए रिजर्व टीम सहित प्रगणक दल का गठन किया जायेगा। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा एप लॉग-इन डाटा डाउनलोड एवं फीडिंग तथा सर्वेक्षण का प्रेक्टिकल आदि का प्रशिक्षण सुपरवाईजरों को जिला स्तर पर प्रदान की जाएगी जहां इन्टरनेट की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। सुपरवाईजर द्वारा प्रगणक दलों के चयन के समय यह विशेष ध्यान रखा जाये कि दल में शामिल दोनों सदस्यों में से किसी एक सदस्य के पास एन्ड्राईड मोबाईल अनिवार्य रूप से हो।जिला स्तर पर सर्वेक्षण में आने वाली कठिनाईयो के समुचित समाधान हेतु एक ट्रबल शूटर की नियुक्ति की जाये, जिसे इसी कार्य हेतु स्वतंत्र मोबाईल नंबर प्रदान किया जाए। यदि जिला स्तर पर समस्या का समाधान संभव न हो तो राज्य स्तर पर इस हेतु निर्धारित ट्रबल शूटर से संपर्क किया जा सकेगा। सुपरवाईजर अपने सर्किल के प्रत्येक ग्राम पंचायत का तीन दिन में एक बार दौरा अनिवार्य रूप से करे तथा प्रगणकों के कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए यदि कोई समस्या हो तो यथास्थान समाधान का प्रयास करें।सुपरवाईजर, प्रगणकों द्वारा किए गये सर्वेक्षण के कम से कम 02 प्रतिशत मामलों में स्वयं उपस्थित रहे तथा कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही अपनी उपस्थिति एवं सत्यापन वाले प्रपत्रों पर प्रगणक के साथ-साथ हस्ताक्षर भी करें।सुपरवाईजर एवं प्रगणकों के मानदेय पर विचार किया जा रहा है, अंतिम निर्णय उपरांत पृथक से अवगत कराया जाएगा। सुपरवाईजर एवं प्रगणको द्वारा सर्वेक्षित परिवारों से व्यक्तिगत जानकारिया भी प्राप्त किया जाना होगा। अतः इन्हें फील्ड में कोई कठिनाई न हो इस उद्देश्य से सभी सुपरवाईजरों एवं प्रगणकों को एक आई.डी. कार्ड प्रदाय किया जाना चाहिए। प्रगणकों के प्रशिक्षण के दौरान ही इन्हें एप डानलोड करना, लॉग-इन करना, डाटा एन्ट्री के प्रशिक्षण के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत का डाटा डाउनलोड करा दिया जाए। सर्वे का संपूर्ण कार्य एप के माध्यम से किया जाना है किंतु समानातर रूप से प्रपत्र की जानकारी हार्ड कॉपी मे भी दर्ज की जाये तथा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रगणक एवं सर्वेक्षित परिवार के मुखिया / सदस्य के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि किसी गांव में इंटरनेट की समस्या हो तो भी सर्वे की जानकारी एप मे ऑफलाइन

मोड में भरी जाये तथा जहां इंटरनेट उपलब्ध हो वहां से जानकारी सिंक की जाए। यदि किसी कारणवश गांव मे एप में जानकारी भरने में कठिनाई हो, तो सारी जानकारी प्रपत्र में भरकर लाना है, और उसे बाद में एप में एन्ट्री करना है, परन्तु सारी जानकारी की एप में एन्ट्री अनिवार्य रूप से करनी है। सर्वे के दौरान सर्वेक्षित परिवार के मुखिया का फोटो आवास, शौचालय एवं आधार कार्ड एप में अपलोड किया जाना है ताकि किसी योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान हेतु पृथक से दस्तावेजों की मांग करने की आवश्यकता न हो। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में प्राय: मकान नंबर नहीं होते। ऐसी स्थिति में मकान की दीवार में गेरू/पेंट/चॉक से मकान नंबर लिखा जाए तथा यह गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए कि उक्त नंबर कम से कम तीन-चार महीनों तक उपलब्ध रहे। जिला स्तर पर सुपरवाईजर का एवं जनपद स्तर पर प्रगणकों के प्रशिक्षण भौतिक रूप से आयोजित किए जाएंगे, इसके साथ ही राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परिवार की इकाई राशन कार्ड को तथा सर्वेक्षण हेतु बेसिक डाटा खाद्य विभाग द्वारा बनाए गये राशन कार्ड की जानकारी से प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार राशन कार्ड का डाटा प्रशिक्षण के दौरान ही प्रगणको के मोबाईल में डाउनलोड करवा लिया जाए। ऐसे परिवार, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में उक्त परिवार सर्वेक्षण में छूटे नहीं। यदि कोई परिवार सर्वेक्षण में भाग नहीं लेना चाहते अथवा जानकारी नहीं देना चाहें तो इस आशय का प्रमाण-पत्र उनसे प्राप्त कर लिया जाये।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480